DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)
Room No.38, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. F/PC/AQC-103/D-128 **dated: 03.8.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 103 dated 07/08/2018.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred question no. 103 raised by Sh. Somnath Bharti , MLA, duly approved by the Competent Authority.

Deputy. Director(PC)
Phone No. 23378559

Copy to:-

Director(DPI) along with **150 copies.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अता. 103
दिनांक 07/08/2017
प्रश्न कर्ता का नाम- श्री सोमनाथ भारती

	प्रश्न	उत्तर
क	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली कितनी स्लम बस्तियों की जानकारी डीयूएसआईबी को है, प्रत्येक का नाम, ये कब बनी, इनका आकार, झुग्गियों की संख्या, शौचालयों की उपलब्धता और जिस भूमि पर ये बस्तियां है उसके भू-स्वामित्व वाली संस्था के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए;	विवरण संलग्न है।(अनुलग्नक-क)
ख	वे क्या मानक है जिनके आधार पर कोई भी स्लम बस्ती गिराए जाने/खाली कराए जाने से बची रह सकती है;	The NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2014 की धारा 3 अनुसार ऐसी जे जे बस्तियां जो दिनांक 01.01.2006 से पहले स्थापित हो गई थी उन्हें वैकल्पिक स्थान दिये बिना नही हटाया जा सकता। यह प्रावधान दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना व पुनर्वास नीति-2015 में भी अंकित है।
ग	दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की क्या योजना है;	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली मे सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना व पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुग्गियों/ जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिये एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भूस्वामी संस्थाओ को सरकारी योजनाओ हेतु, जहाँ जे.जे.बस्ती बसी है उस जगह की जरूरत है तो, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग सम्बंधित भूस्वामी संस्था के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसार पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात ही उस जे जे बस्ती के पुनर्वास का कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं उसकी संस्थाओ की भूमि पर पुनर्वास दिल्ली विकीस प्राधिकरण (नोड़ल एजेंसी) द्वारा एवं दिल्ली सरकार एम. सी. डी. एवं इंसिब की भूमि पर इंसिब (नोड़ल एजेंसी) द्वारा पुनर्वास किया जाएगा।
घ	उक्त योजना या किसी भी अन्य ऐसी ही योजना के अंतर्गत मालवीय नगर क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास कब तक कर दिया जायगा;	वर्तमान में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की किसी भी जे जे बस्ती के पुनर्वास हेतु किसी भी भू-स्वामी से कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है । क्योकि यें सभी बस्तियाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर है,

		इसलिए इनका पुनर्वास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा।
ड	झुग्गी बस्ती में कोई व्यक्ति झुग्गी कैसे ले सकता है और झुग्गी का आकार कितना हो सकता है, क्या मूल झुग्गी मालिक अपनी झुग्गी किसी को किराए पर दे सकता है, क्या झुग्गी को बहुमंजिली पक्की संरचना में बदला जा सकता है, और	इसिब जे.जे. बस्तियों में केवल मूलभूत सुविधाए प्रदान करता है। झुग्गी बस्तियों के अन्य मामलों में इसिब का हस्तक्षेप नहीं है।
च	यदि इनमे से किसी भी प्रश्न का उत्तर 'न' में है तो ऐसा होने की स्थिति में सुधारात्मक उपाय क्या है;	संबंधित भूस्वामी संस्थाए यह सुनिश्चित करें कि उसकी जमीन पर नई झुगियां न पड़ने दी जाए।
छ	झुग्गी बस्तियों में पानी और सीवर कनेक्शन किस एजेन्सी के अंतर्गत है;	पानी और सीवर कनेक्शन का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाता है।
ज	क्या जलबोर्ड के साथ कोई समझौता है जिसके आधार पर उन्हें स्लम बस्तियों में पानी/ सीवर के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके; उक्त समझौते की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए;	इसिब का दिल्ली जल बोर्ड के साथ ऐसा कोई समझोता नही है।
झ	क्या किसी झुग्गी बस्ती में पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है,क्योंकि बर्तमान में जो हाईड्रेट लगे है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नही है और पानी की बहुत बरबादी होती है;	यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड के अर्न्तगत आता है।
ण	क्या झुग्गीवासियों की स्वास्थ्य- समस्याओं, विशेषकर महिलाओं, बच्चो और दूध पिलानेवाली अथवा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तथा युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की कोई योजना है;	झुग्गी बस्तियों में इसिब द्वारा बस्ती विकास केंन्द्रों में एनजीओ के माध्यम से स्वास्थय एवं सामाजिक सुविधाँए प्रदान की जाती है।
ट	यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध कराए।	मालवीय नगर की सूची संलग्न है।(अनुलग्नक-ख)
ठ	क्या झुग्गी बस्तियों में कानून- व्यवस्था के सम्बंध में आपका कोई संवाद या सहमति दिली पुलिस के साथ हुई है; और	इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त को पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में कानून व्यवस्था बनाई जाए।
ड	यदि हाँ, विवरण क्या है? यदि हां विवरण क्या है।	प्रतिलिपी संलग्न है।(अनुलग्नक-ग)

उपनिदेशक, संसद कक्ष

उपसचिव प्रश्न शाखा (दिल्ली विधान सभा) दिल्ली सरकार

Assembly Q. No. 103

Annexure "A"
'अ'

S. No	Code	Location	When Cropped up	Approx. Area (in sqm)	No. of Jhuggies	Availability of toilet	Land owning agency
As per list of 675 JJ Cluster							
1	421	Jagdamba Camp Khirki Gaun Near Satpula Nalla.	Prior to 2006	530	143	Individual toilets	DDA
2	425	Balmiki Camp Creamation Ground Begum Pur	Prior to 2006	12484	600	38 seater DUSIB JSC	DDA
3	426	Indira Camp Begum Pur	Prior to 2006	17213	522	43 seater DUSIB JSC	DDA
4	427	Balmiki Camp Navjeewan Vihar Malviya Nagar	Prior to 2006	795	16	Individual toilets	DDA
As per list of 82 additional JJ Clusters							
5	815	Jhuggies near Malviya Nagar F-Block Gurudwara behind Metro Station, Malviya Nagar	Not available	Not available	70	MTV by SDMC	DDA
6	816	Jhuggies at Popular Pottery Arjun Nagar	Not available	Not available	13	No	DDA
7	817	Jhuggies at Khirki Gaon T-Huts, Malviya Nagar	Not available	Not available	20	No	DDA

31/07/18

Executive Engineer C-5

Executive Engineer C-5
Delhi Urban Shelter Improvement Board
Govt. of NCT of Delhi
1, Kilokari, Opp. Maharani Bagh
New Delhi-110014

अनुलग्नक - क/ख

Status of Basti Vikas Kendra under C-5 in Assembly Constituency

43, Malviya Nagar

S. No.	Div.	Location	Plinth Area in Sq.Mtr.	No. of storey	Allotment Status
01.	C-5 DUSIB	Indira Camp Begumpur	284.80 Sq. Mtr.	02	Fully allotted to NGO Servant of People

Ex. Engr. C-5/DUSIB

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(REHABILITATION SECTION)

No.DD(HQ)/Rehab/2018/D- 196 Dated: 12.07.2018

To

The Commissioner,
Delhi Police,
2nd Floor, MSO Building, Police Headquarter,
ITO, Delhi - 110002

Sub: Unauthorized construction and illegal activities in JJ Bastis.

Sir,

Hon'ble Minister (Urban Development), Govt of NCT of Delhi, vide letter dated 28.06.2018 has pointed out that unauthorized construction and illegal activities, like sattabaji, drug trafficking etc, are going on the JJ Bastis. He has also informed that the residents of JJ Basti Peera Garhi Camp have brought out serious issues of illegal possession of Government land and illegal activities sattebaji, drug trafficking etc. into his knowledge. He has directed that the unauthorized construction and illegal activities in all JJ bastis throughout Delhi need to be identified and thereafter all details are notified to concerned Department of MCD, Police and SDM for urgent and strict action under intimation to him.

It is therefore requested to take necessary action to stop the unauthorized encroachment/ construction and illegal activities like sattebaji, drug trafficking etc. in all JJ Bastis of Delhi.

Yours faithfully,

(RAVI DADHICH)
MEMBER (ADMN.)